

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

श्रीमती चुन्नीदेवी पत्नी नारायणसिंह ग्राम
बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला
पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़
जंक्शन

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 97 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00269

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुना या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/9/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़ जंक्शन ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 13/9/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>1365-26 4/9/19</p>
13/9/19	<p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार से सूचना उपलब्ध कराते तथा गवी करीत व्यक्ति कारण सहित प्रकृत प्राप्त गवी हुका है। पुनः समस्त पत्र जमी किमा जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	
4/10/19	<p>रेस्पोंडेंट से सूचना प्राप्त गवी हुका है। मेवरेलत से सूचना निजकोर हेतु योत की गरी तहसीलदार द्वारा कार्रवा निजकोर हेतु प्रकृत किमा गमा। पत्रावली एक मयत के साथ दिनांक 18/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	
19/10/19	<p>पत्रावली माज पेश हुका।</p> <p>कमीनोर द्वारा कोरिबित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार के फोनक RTI/19/4093 दिनांक 3-10-19 के अनुसार कमीनोर को जमि पत्रावली 4380 डि 1-10-19 के अमेक द्वारा इरमाष या वलोक्रे योत या गमा बोरीमादा तहसीलदार के कोरिबित गरी है तथा कमीनोर पत्रावली सूचना कोरिबित गरी है से अपील कमीनोर इरिबित या नरूप की जाती है पत्रावली सुमा फेसन की जाकर नम्बरे से कमा हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली (राज.)</p>	